भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1320

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रगति

†1320. श्री शशांक मणिः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देशभर में गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति परिवार पांच लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का कार्यान्वयन कर रही है;
(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत विशेष रूप से चिह्नित लाभार्थी परिवारों की संख्या, जारी किए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या और अब तक अधिकृत अस्पताल मरीजों के भर्ती होने की संख्या के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार उक्त योजना के तहत विशिष्ट और विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए छोटे जिलों में निजी और सार्वजनिक अस्पतालों के पैनल का विस्तार करने के उपाय कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से वाले 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या के लिए अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।

मार्च 2024 में, पात्रता मानदंडों का विस्तार करते हुए इसमें मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के 37 लाख परिवारों को शामिल किया गया। अक्टूबर 2024 में, इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया, जो 45 करोड़ परिवारों से संबंधित हैं, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के तहत 5.48 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 13,756.18 करोड़ रुपये की राशि के 83.70 लाख व्यक्तियों को अस्पतालों में भर्ती होने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) और (घ): अस्पतालों का पैनल में शामिल होना एक सतत प्रक्रिया है और यह पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनल में शामिल होने के दिशानिर्देशों में दिए गए मानदंडों के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत 33,270 से अधिक अस्पताल पैनलबद्ध हैं, जिनमें से 15,733 निजी अस्पताल हैं। अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अस्पतालों के मुद्दों, जिनमें पैनल में शामिल होने से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, का वास्तविक समय में समाधान करने हेतु एक अस्पताल-विशिष्ट कॉल सेंटर (14413) स्थापित किया गया है।

*****